

19.07.21 पत्रावली खाज पेशकूडे वादी वकील उपस्थित
 TDR समदरी के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नही
 इन्वॉयस रही। पत्रावली वास्ते इन्वॉयस विभाजन
 प्रस्ताव दिनांक 16/08/21 के पेश है

सहायक कलक्टर
 (SDO) सिवाना

16.08.21 पत्रावली खाज पेशकूडे वादी वकील
 उपस्थित TDR समदरी के विभाजन प्रस्ताव
 प्राप्त नही इन्वॉयस रही। पत्रावली वास्ते इन्वॉयस
 विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.09.21 के पेश
 है।

सहायक कलक्टर
 (SDO) सिवाना

03.09.21 पत्रावली खाज पेशकूडे
 वादी वकील उपस्थित। TDR समदरी से इनके
 पत्रांक यू.ओ. 12020/751 दिनांक 16.08.2021
 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो शामिल मित्र
 के विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील के द्वारा
 पक्षीय पक्ष सुनी गयी वादी वकील के विभाजन
 प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये माफिक
 विभाजन अन्तिम रिकी जारी करे हेतु निवेदन
 किया।

अतः तहसीलदार समदरी के पत्रांक यू.ओ. 12020/751 दिनांक 16.08.21 के संलग्न माफिक रिप्ले
 स्वीकार कर अख्त माफिक लेनया फरकर माफिक
 मालये का माफिक लेन उपरान्त अख्त 20-08-2021
 दिनांक 3.1970 के अख्त माफिक तहसीलदार

श्रीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

समदडी द्वारा प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव की पालना मे निम्नानुसार से अंतिम
ड्रिकी पारित की जाती है।

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान	मार्क
1	प्रभूराम पुत्र भाणाराम जाति सरगर सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा समदडी	20	0.7993	मगरा	0.25	A
	योग	1	0.7993	मगरा	0.25	A
2	1 केशाराम पुत्र कानाराम हि. 1/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 2 गीलाराम पुत्र कानाराम हि.1/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 3 अर्जुनराम पुत्र कानाराम हि. 1/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 4 रमेश कुमार पुत्र कानाराम हि. 1/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 5 चौथाराम पुत्र बच्चीया हि. 1/6 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 6 जगदीश पुत्र बच्चीया हि. 1/6 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 7 बाबूलाल पुत्र बच्चीया हि.1/ 6 जाति सरगरा सा.देह खातेदार 8 मोहनीदेवी पत्नी बच्चीया हि. 1/6 जाति सरगरा सा.देह ,खातेदार	20	2.3977	मगरा	0.74	B
	योग	1	2.3977	मगरा	0.74	B

भूमिधारक तहसीलदार समदडी को निर्देश दिये जाते हैं कि मोहनी देवी पत्नी बच्चीया का फौत होने से मोहनीदेवी के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण विधिक वरिसान के जांच करते हुये उसके विधिक वारिसान के नाम भरा जावे ,राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमलदरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना